न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः– 02/2019

प्रार्थीः–

देवाराम पुत्र लुम्बाराम जाति रेबारी निवासी पीपलून तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :–

1. जीवसिंह पुत्र अचलाराम जाति दरोगा निवासी पीपलून
2. तेजसिंह पुत्र अचलाराम जाति दरोगा निवासी पीपलून
3. दुर्गसिंह पुत्र अचलाराम जाति दरोगा निवासी पीपलून
4. खीमला पुत्र गिरधारी जाति रा.राजपूत निवासी पीपलून
5. गंगासिंह पुत्र ओकाराम जाति रा.राजपूत निवासी पीपलून
6. पोनीदेवी पत्नी ओकाराम जाति रा.राजपूत निवासी पीपलून
7. मु.मकू पत्नी गिरधारी जाति रा.राजपूत निवासी पीपलून
8. हरिसिंह पुत्र ओकाराम जाति रा.राजपूत निवासी पीपलून
9. घेवर पुत्र उम्मेदाराम जाति दरोगा निवासी पीपलून
10. बाबू पुत्र उम्मेदाराम जाति दरोगा निवासी पीपलून
11. मांगया पुत्र उम्मेदाराम जाति दरोगा निवासी पीपलून
12. गजेसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी पीपलून
13. पृथ्वीसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी पीपलून
14. नीम्बसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी पीपलून
15. लक्ष्मण पुत्र हेमाराम जाति सरगरा निवासी पीपलून
16. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई(ए.डी.बी.)शाखा सिवाना
17. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :– 1. श्री कैलाशपुरी अधिववक्ता प्रार्थी
2.श्री जयप्रकाश अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 ता 14
3. श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 15

–: आदेश :–

दिनांक :–19.07.2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 376 रकबा 01.3152 हैक्टयर सरहद मौजा पीपलून पटवार मण्डल गोलिया तहसील सिवाना में अवस्थित है। जिसमें आवागमन हेतु रास्ता बदिशा दक्षिण में स्थित विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 381,380,384,751/383,750/383,385 [illegible] के मेंढ से होते हुए आगे सरकारी भूमि खसरा संख्या 288 तक जाता [illegible] रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु [illegible] एवं सुलभ रास्ता [illegible] प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" [illegible] लाल से दर्शाया है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:15:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Scanned by CamScanner

की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 ता 14 की ओर से वकील श्री जयप्रकाश द्वारा इकबाली जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को बिना किसी प्रतिफल प्राप्त किये प्रदान किये जाने हेतु सहमति दी गई। विप्रार्थी संख्या 15 की ओर से वकील श्री खीमाराम आकबल द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया। भूमि धारक तहसीलदार सिवाना से रिर्पोट तलब की गई। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिर्पोट कमांक राजस्व/2019/4720 दिनांक 16.12.2019 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 ता 14 के वकील द्वारा प्रार्थी को रास्ते दिये जाने हेतु सहमति जाहिर की विप्रार्थी संख्या 15 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि विप्रार्थी संख्या 15 के खसरा संख्या 389 के बदिशा पश्चिम में मौके पर रास्ता चल रहा है व खसरा संख्या 386 के बदिशा पश्चिम व उत्तर में मौके पर रास्ता चालू है विप्रार्थी लक्ष्मणराम के खेत ख्सरा संख्या 389,386 में से बदिशा पश्चिम उत्तर में मौके पर चालु हालत में है। राजस्व दल द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट में बिन्दु संख्या ए,बी,सी,डी,एच व ई मौके पर चालू होना बताया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं गहनता से अध्ययन व मनन किया । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अध्ययन किया गया। तहसीलदार सिवाना के मौका रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका दिनांक 16.12.19 के अनुसार ग्राम पीपलून पटवार मण्डल गोलिया में अवस्थित प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 376 रकबा 01.3152 हैक्टयर में आवगमन हेतु मौजा पीपलून के खसरा संख्या 381,380,384,751/383,750/383,385,386,389 अलावा अन्य कटाण रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी पूर्व में ग्राम पीपलून की आबादी भूमि में स्थित सडक से खसरा संख्या 570 गै.मु.[illegible] खसरा संख्या 648/594 गै.मु.नाला खसरा संख्या 390 बी.दो.(सिवाय चक) में [illegible] हुए विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 386,750/383,751/383,381 से होते [illegible]र्थी के खसरा संख्या 376 तक चलता था जिसके निशान मौके पर मौजूद है। उक्त रास्ता कटाण नहीं है मौके पर सहमति के आधार पर चल रहा था उक्त रास्ते को खसरा संख्या 386 के खातेदार द्वारा अवरूद्व कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा आवगमन हेतु चाहे गये रास्ते खेत खसरा संख्या 389,386,385,750/383,751/3838,381,384,380 मे से

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:15:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

होते हुए खसरा संख्या 376 में आवागमन हेतु रास्ते की मांग की है। उक्त आवेदित रास्ते में खसरा संख्या 570,648/594 गै.मु.नाला में वर्तमान में रास्ता मौके पर चल रहा है खसरा संख्या 388 बा.दो.(सिवायचक) सरकारी भूमि है। खसरा संख्या 389,386 के खातेदार के अलावा खसरा संख्या 385, 750/383, 751/383, 381,384,380 व 376 के खातेदार द्वारा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता बाबत् सहमति प्रदान की गई है। खसरा संख्या 389 की चौडाई 2 ग्ट्ठा x लम्बाई 32 गट्ठा रकबा 03 बिस्वा 04 बिस्वांसी व खसरा संख्या 386 की चौडाई 2 ग्ट्ठा x लम्बाई 52 गट्ठा रकबा 05 बिस्वा 04 बिस्वांसी होती है। विप्रार्थी संख्या 15 के वकील द्वारा प्रस्तुत जबाब में उल्लेखित पूर्व मे चल रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका फर्द में बताया गया है कि उक्त रास्ता पूर्व में सहमति से चल रहा था जिसे विप्रार्थी 15 द्वारा जबरन बन्द कर दिया गया है। तहसीलदार सिवाना के मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 386 व 389 एक ही व्यक्ति का है जिसने पूर्व में उसकी खातेदारी में चल रहे रास्ता को अवरोध कर दिया जिस कारण प्रार्थी द्वारा अपने खातदेारी में आवगमन हेतु 381,380,384,751/383,750/383,385,386,389 चाहा गया है। खसरा संख्या 386 व 389 के खातेदार के अलावा 385, 750/383, 751/383, 381, 384,380 के खातेदारो ने इकबाली जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थी को बिना प्रत्फिल लिये रास्ते दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम पीपलून के खेत खसरा संख्या 376 में आवगमन हेतु खसरा संख्या 381, 380, 384, 751/383,750/383,385,386,389 में 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता घोषित किया जाता है।

विप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 द्वारा बिना प्रतिफल रास्ते हेतु भूमि दिये जाने के सहमति दिये जाने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 से 14 तक को रास्ते के रूप में समाविष्ट होने वाली भूमि के रकबे के बदले किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे की आदेश दिनांक को प्रचलित डीएलसी द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि तहसीलदार सिवाना द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान विप्रार्थी संख्या 15 को उसकी खातेदारी के खेत खसरा संख्या 386 व 389 की भूमि मे से रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली भूमि के कुल रकबे की क्षतिपूर्ति के रूप में देय होगी जो डीएलसी द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:15:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थी संख्या 15 को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व

Scanned by CamScanner

रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थी संख्या 15 को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नये 2 गट्ठा चौडाई के रास्ता मे समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज होगी।

प्रार्थी के इस प्रकार नये 2 गट्ठा चौडाई भूमि को रास्ते के रूप में मौका फर्द दिनांक 07.12.19 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाए बरंग लाल F से G, G से D , D से H,H से E व E से I तक का उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार अर्जित नहीं होगे। रास्ते के रूप से समाविष्ट भूमि का रकबा सम्बन्धित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा मौका फर्द दिनांक 07.02.19 के संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग होगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को उसकी खातेदार खेत में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 381, 380, 384, 751/383, 750/383, 385, 386, 389 मे से फर्द दिनांक 07.12.19 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाए बरंग लाल F से G, G से D , D से H,H से E व E से I तक 2 गट्ठा चौडाई में 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा रास्ते में समाविष्ट होने वाली 2 गट्ठा चौडाई में रास्ते की भूमि का प्रतिफल के रूप में विप्रार्थी संख्या 15 को अदायगी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2019/4720 दिनांक 16.12.19 प्रेषित मौका फर्द दिनांक 07.02.19 के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:15:03 IST
Reason: Self Attested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 19.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

Scanned by CamScanner